

(1747-20)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण  
स्रीक

बनाम

प्रतिवादीगण  
उमान कोरे

मुकदमा नं.-293 / 2017

प्रकरण : राजस्व वाद

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुये।

तारिख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज

29/12/17 यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53.88.189 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 2-2-18 को पेश हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

12-2-18

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 01.6.18 को प्रस्तुत करें।

6-11-18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 06.03.19 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

6-3-19

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.5.19 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

31-5-19

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.5.19 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

31-7-19

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.9.19 को प्रस्तुत करें।

25/19 : पञ्जाबी पत्र डूरी वकील कानि एवं प्रतिकारी सं। से 3  
 डी और वकील प्रतिकारी शिवकुमार ने वज्रवृत्त  
 परा कर रखा है। पञ्जाबी वकील लल्लु सिंह  
 13.11.19 को परा है।

*(Signature)*

13.11.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 13.12.19 को  
 प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13.12.19  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 13.3.20 को  
 प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13/20  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 29.4.20 को  
 प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

29/20  
 कोरोना लॉड/30  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 29.5.20 को  
 प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

29.5.20  
 कोरोना लॉड/30  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 29.6.20 को  
 प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

29/20  
 कोरोना लॉड/30  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण  
 अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 14/7/20 को  
 प्रस्तुत करें।



तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26/11/21	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/11/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
21/1/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22/3/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
22/3/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23/4/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
23/04/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26-05-21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
26/05/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5/07/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
5/07/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5/08/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	
5-8/21	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 3/9/21...को प्रस्तुत करें।</p> <p><b>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</b></p>	

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

न्यायालय.....

बनाम.....

प्रकरण की किस्म.....

वर्ष.....

प्रकरण की संख्या.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
3-9-21	पत्रावली सहित वृत्तपाप अपरा पत्रावली वाले जवाब का फ्लेम + प्रति-6 की तलबी हेतु दिनांक 18.10.21 को पेश की	
18 <sup>10</sup> / <sub>21</sub>	पत्रावली सहित पत्रावली गान साक्षिण की पालना में दिनांक 30.12.21 को पेश की	
30 <sup>12</sup> / <sub>21</sub>	पत्रावली सहित जवाब का फ्लेम हेतु अग्रप यादा पत्रावली वाले जवाब का फ्लेम + वृत्तपाप तलबी हेतु अग्रिन्दा दिनांक 7.3.22 को पेश की	
7 <sup>3</sup> / <sub>22</sub>	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की निर्णय में/प्रमाण अवकाश पर यह हेतु प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/5/22 को प्रस्तुत करें।	
4/5/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता वार सधे का कार्य समाप्त	

सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) जायल

अभ्यार/पदाकारान के प्राधिका

13/6/22

दीक्षासोम प्रशिक्षण विभाग/अभ्यार  
अभ्यार/पदाकारान के प्राधिका  
प्रकार के प्रमाण दिनांक 13/6/22

17/6/22

वादी ने हाजिर आकर प्रार्थना  
पत्र पेश कर कथन किया कि  
वादी स्वयं प्रतिवादीगण के कक्ष  
आपसी सहमति से राजीनामा हो  
जाया है इतलिये पत्रावली का अंज  
तारीख पर ली जाकर जरिअ  
विहीन खारिज किया जावे। पत्रावली  
नम्बर पर ली गई प्रार्थी को सुना  
गया। प्रार्थी की पहचान कार्यालय  
घाना में कार्यरत सहा कर्याही  
रामकवरी द्वारा की गई।

नापी का

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी  
का अघि घारा 531, 68, 188 राख  
खारिज किया जाता है। मिलल  
नम्बर से कर होकर घार  
जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर  
रहे।

सहायक कलक्टर  
(सि. डी. ओ.) जायल